

क्रमांक / F-80 / 2081 / डी.यू.एच.एस. / अका / 2025

रायपुर, दिनांक 04/07/ 2025

:: आदेश ::

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति बैठक दिनांक 27.05.2025 के बिंदु क्रमांक 25 में हुए अनुशंसा/अनुमोदन के आधार पर छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जी. ई. रोड, मनकी, राजनांदगांव (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नीचे उल्लेखित कक्षा/विषय की अस्थायी सम्बद्धता/संबद्धता वृद्धि प्रदान की जाती है:-

कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
1. बी. ए. एम. एस. (आयुर्वेद) प्रथम वर्ष	100	2025-26
2. बी. ए. एम. एस. (आयुर्वेद) द्वितीय वर्ष	100	
3. बी. ए. एम. एस. (आयुर्वेद) तृतीय वर्ष	60	
4. बी. ए. एम. एस. (आयुर्वेद) चतुर्थ वर्ष	60	

शर्त:-

- विश्वविद्यालय परिनियम-16 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को अन्यत्र स्थित निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा देने के लिये व्यवस्था करनी होगी।
- आंबटित सामाजिक कार्य जैसे की राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान एवं अन्य को रुचि पूर्वक सम्पन्न करना होगा।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एवं छ.ग. शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे।


कुलसचिव

पृ. क्रमांक / F-80 / 2082 / डी.यू.एच.एस. / अका / 2025

रायपुर, दिनांक 04/07/ 2025

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त/संचाकल, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध एवं होमियोपैथी (आयुष), इंद्रावती भवन ब्लाक-1, तृतीय तल, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
- प्राचार्य, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जी. ई. रोड, मनकी, राजनांदगांव (छ.ग.)
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं.दी.द. उपा.स्मृति स्वा. विज्ञान एवं आयुष वि.वि. छत्तीसगढ़, रायपुर
- परीक्षा नियंत्रक पं.दी.द. उपा.स्मृति स्वा. विज्ञान एवं आयुष वि.वि. छत्तीसगढ़, रायपुर
- गोपनीय विभाग/परीक्षा विभाग, पं. दी. द. उपा. स्मृति स्वा. विज्ञान एवं आयुष वि.वि. छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ अग्रपिप्त।


कुलसचिव